उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–2
संख्याः–1333/IV(2)–श0वि0–2020–16(सा0)/20
देहरादूनः दिनांक 10, दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

चूंकि, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत लाईसेन्सिंग सुधार के उद्‌देश्य से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निगमों के अन्तर्गत व्यवसायों के विनियमन हेतु समस्त उपविधियों को परिष्कृत करने हेतु उपविधि का प्रारूप उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त)की धारा 547 की उपधारा (1) के अधीन यथा–अपेक्षित उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 953/IV(2)–श0वि0–2020–16 (सा0)/20 दिनांक 22 सितम्बर, 2020 द्वारा समस्त नगर निगमों को उपलब्ध करा दी गयी है एवं पन्द्रह दिनों की अवधि के अवसान होने से पहले, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और चूंकि, उक्त अवधि के दौरान उपविधि प्रारूप पर कोई सुझाव और आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 547 सपठित धारा 549 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवसायों को विनियमित करने हेतु समस्त उपविधि को परिष्कृत करने के लिए निम्नलिखित उपविधि बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड नगर निगम ट्रेड लाईसेन्स परिष्करण उपविधि, 2020

1. **संक्षिप्त नाम :–** इस उपविधि का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगर निगम ट्रेड लाईसेन्स परिष्करण उपविधि, 2020 है।
2. **लागू किया जानाः–** यह उपविधि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निगमों की सीमा के अन्तर्गत लागू होगी।
3. **प्रारम्भः–** यह गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।
4. **परिभाषायें:–**

(क) "अधिनियम" से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) अभिप्रेत है।

(ख) "स्थानीय नगर निकाय" से उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सभी नगर निगम अभिप्रेत हैं।

(ग) "विहित शुल्क" से ट्रेड लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु विहित शुल्क अभिप्रेत है।

(घ) "ट्रेड लाइसेन्स" से ट्रेड लाईसेन्स उपविधियों के अधीन प्राप्त/निर्गत लाईसेन्स हैं।

(ङ) "ट्रेड लाईसेन्स" उपविधियों से अधिनियम के अन्तर्गत व्यवसायों के विनियमन हेतु अधिसूचित उप विधियां अभिप्रेत हैं।

Scanned by CamScanner

5. **नये ट्रेड लाईसेन्स का प्राप्त किया जानाः—** किसी स्थानीय नगर निकाय सीमान्तर्गत व्यवसाय हेतु नया ट्रेड लाईसेन्स उस स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित ट्रेड लाईसेन्स उपविधि में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत नगर सेवा पोर्टल पर अनिवार्यतः ऑनलाईन प्राप्त किया जाएगा।

6. **ट्रेड लाईसेन्स का नवीनीकरणः—** किसी स्थानीय निकाय की ट्रेड लाइसेन्स उपविधियों के अन्तर्गत कोई निर्गत/प्राप्त ट्रेड लाईसेन्स मान्यता अवधि के अंतिम माह में विहित शुल्क एवं मान्यता की अंतिम तिथि के पश्चात् विहित अतिरिक्त शुल्क के साथ जमा कर दिये जाने पर, मान्यता की अंतिम तिथि से आगे 01 वर्ष के लिए मान्य हो जायेगा।

7. **ट्रेड लाईसेन्स का ऑनलाईन नवीनीकरणः—** ट्रेड लाईसेन्स का नवीनीकरण अनिवार्य रूप से नगर सेवा पोर्टल पर ऑनलाईन किया जायेगा।

8. **परिष्करण का विस्तारः—** नगर निगमों की ट्रेड लाईसेन्स उपविधियां उपरोक्त सीमा तक संशोधित/परिष्कृत की जाती हैं। ट्रेड लाईसेन्स उपविधियों के शेष उपबंध यथावत रहेंगे एवं नगर निगमों द्वारा यथाप्रकिया निर्धारित/लागू किये जायेंगे।

9. **अध्यारोही प्रभावः—** यह उपविधि समस्त नगर निगमों द्वारा निर्गत उपविधियों एवं भविष्य में लागू की जाने वाली समस्त उपविधियों/नियमों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू होगी।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या-1333/IV(2)-श0वि0–2020–17(सा0)/2020 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1— निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— आयुक्त, कुमॉयू मण्डल/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम उत्तराखण्ड।
5— संयुक्त निदेशक, लीथो प्रेस, रामनगर रूड़की को इस आशय से कि अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित कराते हुए 150 प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल जोशी)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner